

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 1970/श्रावण 1, 1892
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 1970/SRAVANA 1, 1892

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July 1970

G.S.R. 1099.—The following Order made by the President is published for
general information:—

C.O. 88

THE CONSTITUTION (NAGALAND) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1970

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Nagaland, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Nagaland so far as regards members thereof resident in that State.

(641)

THE SCHEDULE

1. NAGA
2. KUKI
3. KACHARI
4. MIKIR
5. GARO.

V. V. GIRI.
President.

[No. F. 19(1)/67-LI.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1099.—साधारण सूचना के लिये राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश प्रकाशित किया जाता है।

सी० ओ० 88

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 क खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागालैंड राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
2. इस आदेश की अगुची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों को अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों को, नागालैंड राज्य के बारे में वहां तक जहां तक उस राज्य में निवासी उनके सदस्यों का सम्बन्ध है, संविधान के प्रयोजनों के लिए, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

अ. सूची

- 1 नागा
- 2 कुकी
- 3 कछारी
- 4 भिकिर
- 5 गारो

बी० बी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19(1)/67-विधायी अनुभाग-1]
एन० डी० पी० नम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव ।